भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 2531
दिनांक 17 **मार्च**, 2021

आरक्षित श्रेणियों के लिए पेट्रोल पम्प

2531. **श्रीमती फूलो देवी नेतम**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछले वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसी आवंटन के लिए क्या नियम निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) गत एक वर्ष में आरक्षित वर्ग को कितने पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी आवंटित किए गए हैं, इसके बैकलॉग सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(**श्री धर्मेन्द्र प्रधान**)

(क) देश में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के आबंटन के लिए प्रक्रिया/मानक/मानदंड/आरक्षण संबंधी ब्यौरा ओएमसीज की संबंधित वेबसाइटों अर्थात् www.iocl.com, www.bharatpetroleum.com, www.hindustanpetroluem.com पर उपलब्ध हैं।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश अर्थात एकीकृत दिशा-निर्देश http://www.petroleum.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

आरओ डीलरशिपों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन में खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन संबंधी दिशा-निर्देशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5% आरक्षण और ओबीसीज के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड तथा मिजोरम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के लिए विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण निम्नानुसार है:-

श्रेणी	**अनु.जाति/**	**ओबीसी**	**सामान्य**	**कुल**

	अनु. जनजाति			
संयुक्त श्रेणी 1 (**सीसी**1) सम्मिलित हैं :- (i) रक्षा कार्मिक और (ii) अर्ध सैन्य कार्मिक / केंद्रीय /राज्य सरकार और केंद्रीय /राज्य पीएसयू कर्मचारी	2	2	4	8
संयुक्त श्रेणी 2 (**सीसी**2) सम्मिलित हैं :- i उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) और ii स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ)	0	0	1	1
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों (पीएच)	1	1	1	3
अनु.जाति/अनु.जनजाति	19.50			19.50
अन्य पिछड़ा वर्ग		24		24
सामान्य			44.50	44.50
योग	22.50	27	50.50	100

अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड तथा मिजोरम राज्यों में आरक्षण निम्नवत है:-

राज्य	अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए प्रदान की जाने वाली नियमित और ग्रामीण आरओ डीलरशिप का प्रतिशत	शेष प्रतिशत सामान्य श्रेणी के लिए होगा
अरुणाचल प्रदेश	70	30
मेघालय	80	20
नागालैंड	80	20
मिजोरम	90	10

अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में विभिन्न श्रेणियों के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए आरक्षण प्रतिशत निम्नवत है:-

श्रेणी	आरक्षण श्रेणियां (% में)			
	एससी/एसटी	ओबीसी	सामान्य	योग
सरकारी कार्मिक वर्ग (जीपी)	2	2	4	8
दिव्यांग/शारीरिक रूप से अक्षम कार्मिक (पीएच)	1	1	1	3
संयुक्त वर्ग (सीसी)	0	0	1	1

महिलाएं	7	9	17	33
मुख्य श्रेणी से आरक्षित-संबंधित श्रेणी से कोई भी व्यक्ति	12.5	15	27.5	55
योग	22.5	27	50.5	100

अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड तथा मिज़ोरम के पूर्वोत्तर राज्यों में आरक्षण निम्नानुसार है:-

राज्य	**एसटी**	**महिला**			**सामान्य**	**समग्र योग**
		एसटी(महिला)	**सामान्य (महिला)**	**योग %**	**%**	**%**
अरूणाचल प्रदेश	49	21	09	30	21	100
मेघालय	56	24	06	30	14	100
नगालैंड	56	24	06	30	14	100
मिज़ोरम	63	27	03	30	07	100

(ख): सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज ने अनु.जाति/अनु.जनजाति तथा ओबीसी सभी श्रेणियों के लिए नवम्बर/दिसम्बर, 2018 में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के आबंटन के लिए विज्ञापन दिया था। तदनुसार, दिनांक 01.03.2021 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज ने अनु.जाति/अनु.जनजाति श्रेणियों के लिए 20,921 विज्ञापन जारी किए थे जिसमें 3551 का बैकलॉग शामिल है इसमें से 6488 आरओज का आबंटन किया गया है (एलओआईज जारी किए गए)। जहां तक ओबीसी श्रेणी का संबंध है, 20,720 लोक्शनों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और 6047 आरओज का आबंटन किया गया (एलओआईज जारी किए गए)। इसके अलावा, दिनांक 01.03.2021 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज के पास 22,298 विपणन योजना एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। श्रेणी-वार प्रतिशत निम्नवत है:

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या				
	एससी/एसटी/	ओबीसी*	अन्य	योग
ओएमसी	4968	2237	15093	22298
%	22.28	10.03	67.69	100.00

* नोट: एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में ओबीसी आरक्षण की शुरूआत जुलाई, 2012 में हुई है।

****